प्रेषक,

श्री दया शंकर,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या:2461/14-2-99-911/1992

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0 लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 1999

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 61.2348 हे0 वनभूमि 10 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या भू0आ0-231/14-2-1992-911/92, दिनांक 14-12-1992 एवं आपके पत्र संख्या 1926/11डी-96 (सोनभद्र), दिनांक 8-1-1999 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 61.2348 हे0 वनभूमि 10 (दस) वर्ष के लिए लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8-5/93-एफ0सी0, दिनांक 22-2-1999 में प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर उनके द्वारा लगायी गयी शर्तों का समावेश करते हुए निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

(1)- प्रस्तावित वनभूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2)- परियोजना के व्यय पर समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(3)- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम-1927 के अन्तर्गत संरक्षित/रक्षित घोषित किया जायेगा।

(4)- परियोजना के व्यय पर लीज क्षेत्र का सीमांकन आर0सी0सी0 के स्तम्भ [illegible] बनाकर किया जायेगा। साथ ही एक स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ तक दूरी और बियरिंग अंकित की जायेगी।

(5)- याचक कम्पनी के व्यय पर दुगुने अवनत वन क्षेत्र पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(6)- वनभूमि पर स्थित वृक्षों का पातन किया जाना जब आवश्यक हो, तो उसे परम्परागत तरीके से केवल उ0प्र0 वन निगम के माध्यम से ही किया जायेगा।

(7)- याचक कम्पनी द्वारा क्षेत्र के पुनर्स्थापन हेतु अनुमोदित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित वृक्षारोपण कराया जायेगा। प्रस्तावित ऐश डम्प समाप्त होने पर विद्यमान ऐश डम्प का पुनर्स्थापन भी याचक कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

.......2

छायाप्रति प्रमाणित

For Hindalco Industries Ltd.

Sr. Vice ... (Legal & Admn.)

(8)-प्रस्ताव में उल्लिखित परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए वनभूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9)-वन क्षेत्र में पाये जाने वाले फ़्लोरा एवं फौना के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगायी जाने वाली शर्तें भी याचक कम्पनी को मान्य होंगी।

(10)-प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

(11)-कम्पनी प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(12)-कम्पनी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे। क्षति होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर कम्पनी द्वारा देय होगा।

(13)-कम्पनी को हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वनभूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।

(14)-उक्त वनभूमि कम्पनी के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कम्पनी को उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता न रहने पर वह वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वापस हो जायेगी।

(15)-वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उनके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(16)-प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण के बाद भी पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी।

(17)-प्रश्नगत वनभूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर उस मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर कम्पनी को वनभूमि का कब्जा दिया जायेगा।

(18)-कम्पनी द्वारा उक्त शर्तों एवं सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टाविलेख का आलेख प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करायाजायेगा। ऐसे पट्टाविलेख के विधीक्षण हेतु निर्धारित विधीक्षण शुल्क सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

..............3/-

सत्यप्रति प्रमाणित

For Hindalco Industries Ltd.

(I.J. Joshi)
Sr. Vice President (Legal & Admn.)

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-9-700/दस-1999, दिनांक: 17-3-1999 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर)
उप सचिव।

संख्या: 2464(1)/14-2-99-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली।
2- प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ।
3- मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबन्ध) उ०प्र० लखनऊ।
4- वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, उ०प्र० मिर्जापुर।
5- प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।
6- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
7- उपाध्यक्ष, रेनुसागर पावर कम्पनी लि०, जनपद-सोनभद्र।
8- उपाध्यक्ष (जनसम्पर्क), मै० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०, 23 विधान सभा मार्ग, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
उप सचिव।

छायाप्रति प्रमाणित

For Hindalco Industries Ltd.

(I.J. Joshi)
Sr. Vice President (Legal & Admn.)